

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से विनम्र
प्रार्थना की जाती है, अनुमति एवं आदेश की जाती है कि वे भारत को बिना किसी
नोक-दीक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता
और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUEST IN THE NAME OF
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM
IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY
WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER
EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE
MAY STAND IN NEED.


भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA

S
Vishnu



डॉ. ई. विश्णु वर्धन रेड्डी IFS
DR E VISHNU VARDHAN REDDY IFS
क्षेत्रीय प्रवाहक अधिकारी
Regional Passport Officer
क्षेत्रीय प्रवाहक कार्यालय
Regional Passport Office
काँपुराबाद/HYDERABAD

पासपोर्ट
PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

89

निरीक्षण / OBSERVATION

विभिन्न सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE



Z4387280

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

NAGESWARA RAO CHAVALI

माता का नाम / Name of Mother

MADHAVI CHAVALI

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

SATYA SURYA KIRAN POTHUKUCHI

पता / Address

6-50/7, 1ST FLOOR, DINAKAR COLONY, WESTVENKATAPURAM

SECUNDERABAD, MEDCHAL

PIN: 500015, TELANGANA, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

K1389131

14/12/2011

HYDERABAD

फाइल नं. / File No.

HY1070863181718

INDIAN PASSPORT

भारतीय वीजा

विद्यार्थी में रहते बान्ने भारतीय नागरिकों को सवाए ही बानी है कि वे निकडन भारतीय मिशन/ केन्द्र में अपना पंजीकरण करावार् ।

बैतानागी
बन्धु परिवारों भारत सरकार की सम्पत्ति है । इस परिवारों के बारे में किसी परिवारों अधिकारी से इसके बारे में बारी बारी पूछना मिलनी है । किसी परिवारों में जाने की बात भी जानिए है जो भारत में आने अनुमति मिलना बाए ।

बन्धु परिवारों के लिए किसी भी देश से बाहर न बाहर बाए । बन्धु परिवारों के लिए बाए उनके द्वारा प्रमाणित व्यक्ति के कडने में ही होना बाए । इसमें किसी भी प्रकार का केवल या विक्रि नहीं की जानी बाए ।

परिवारों में जाने बान्ने, बान्ने ही जाने अथवा नए ही जाने पर उनकी पूछना बाए में सबसे निकडन परिवारों अधिकारी को अथवा बारी परिवारों के लिए बान्ने में है तो निकडन भारतीय मिशन/ केन्द्र और स्थानीय पुलिस को संकल ही जानी बाए । किसी परिवारों के बारे ही अधिकार परिवारों बारी मिलना बाए ।

REGISTRATION
INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

IF LOST, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

